न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 15/2024

अपीलार्थीगण

1. कुसुमकुंवर पुत्री खीमसिंह जी पत्नि ललितसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, हाल निवासी–खिमेल, तहसील– रानी, जिला– पाली
2. विक्रमकुंवर पुत्री खीमसिंह जी पत्नि नरेन्द्रसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, हाल– केसरसिंह का गुडा, पोस्ट–नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही
2. बलवन्तसिंह पुत्र खीमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. नरपतसिंह पुत्र खीमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
4. मदनकुंवर पुत्री खीमसिंह जी पत्नि पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, जिला– पाली, मृतक के कायम मुकामः–

4/1. हीनाकुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/2. सुमनकुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/3. चन्दनसिंह पुत्र पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी–बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/4. डिम्पल कुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/5. रुपमकुंवर पुत्री पदमसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली

4/6. पदमसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बांकली, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली (मृतक)

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 30 अप्रेल, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील, तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01.9.1998 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कुमार सुराणा उपस्थित हुये तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–2 (दो) की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 4/1 से 4/5 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) की मृत्यु हो जाने से अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) की दिनांक 03–7–2024 को मृत्यु हो गई एवं इनके विधिक वारिसान पुत्र–पुत्रीयां पूर्व से ही इस अपील में पक्षकार है, इसलिये प्रत्यर्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) के नाम के आगे मृतक अंकित कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करावे। जिस पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4/6 (पदमसिंह) के नाम के आगे मृतक अंकित करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.03.2025 व उसके बाद की सुनवाई तिथियों पर प्रत्यर्थी संख्या 3 (तीन) के अधिवक्ता उपस्थित भी नही हुये। अतः प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4/1 से 4/5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 25–4–2025 को अपीलार्थीगण के अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) के अधिवक्ता तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

(3) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण, स्वर्गीय खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बडगांव, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के जायन्दा पुत्रियां है तथा अपीलार्थीगण के अलावा स्वर्गीय खीमसिंह जी के अन्य विधिक वारिसान में 02 पुत्र एवं एक पुत्री है। अपीलार्थीगण के पिता खीमसिंह जी पुत्र जीवसिंह जी की मृत्यु दिनांक 06.11.1991 को हो चुकी है। खीमसिंह जी पुत्र जीवसिंह जी के पेढी पत्रक अनुसार खीमसिंह जी के उत्तराधिकार सायरकुंवर (पत्नी), मदनकुंवर (पुत्री), बलवन्तसिंह (पुत्र), नरपतसिंह (पुत्र), कुसुमकुंवर (पुत्री) व विक्रमकुंवर (पुत्री) है, जिनमें से जीवसिंह जी पुत्र खीमसिंह जी की पत्नी सायकुवर व पुत्री मदनकुंवर की मृत्यु हो चुकी है तथा जीवसिंह पुत्र खीमसिंह जी की पुत्री मदनकुंवर के उत्तराधिकारी पदमसिंह (पति), हीनाकुवर (पुत्री), सुमनकुवर (पुत्री), चन्दनसिंह (पुत्र), डिम्पकुंवर (पुत्री), रुपमकुंवर (पुत्री) है। उक्त मदनकुंवर के पति पदमसिंह जी की भी मृत्यु हो गई है। यह कि ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवगंज में अपीलार्थी के पिता व अन्य सहखातेदारान के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 135 से 141 व 162 कुल खसरे 8 आई हुई थी, जिसमें अपीलार्थीगण के पिता खीमसिंह की मृत्यु होने के बाद उक्त कृषि भूमि पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि होने से अपीलार्थीगण के पिता खीमसिंह जी के हक हिस्से की कृषि भूमि में अपीलार्थीगण का 2/6 हक हिस्सा है तथा खीमसिंह की मृत्यु के बाद बतौर उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण अपने 2/6 हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी रुकावट के शांतिपूर्वक काश्त करती आ रही है। स्वर्गीय खीमसिंह जी की पत्नि व अपीलार्थीगण की माता का स्वर्गवास हो जाने से वर्तमान में अपीलार्थीगण का 2/5 खातेदारी हक हिस्सा आता है। यह कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता खीमसिंह की मृत्यु होने के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 के साथ साथ अपीलार्थीगण खीमसिंह की जायन्दा पुत्री होने के कारण अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 4 व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का समान हक हिस्सा था, परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलार्थीगण के पिता खीमसिंह जी की मृत्यु के बाद विसरात का नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने से विरासत के नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01–9–1998 में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

एवं अपीलार्थीगण की माता सायरकुंवर को ही अपीलार्थीगण के पिता खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी के विधिक वारिसान मानकर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 तथा अपीलार्थीगण की माता सायरकुंवर के नाम से ही नामान्तरकरण दर्ज किया, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्र के बराबर हक हिस्सा पुत्री को भी प्राप्त होता है। इस कारण अपीलार्थीगण के पिता खीमसिंह जी के हक हिस्से की कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के साथ साथ अपीलार्थीगण का भी समान हक हिस्सा है। यह कि अपीलार्थीगण के पिता खीमसिंह की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियों ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया है, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने खीमसिंह जी के विधिक वारिसानों के संबंध में ना तो जांच की है तथा न ही कोई बयान दर्ज किये है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर नामान्तरकरण अपीलार्थीगण व उनकी बहन प्रत्यर्थी संख्या 4 को उनके हक हिस्से की कृषि भूमि से वंचित करने की की नियत से झूठे तथ्य अंकित करवाये और झूठे तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण को अपने हक हिस्से से वंचित करने के लिये अपीलार्थीगण स्वर्गीय खीमसिंह जी की जायन्दा पुत्री है, इस तथ्य को जानते हुए भी बिना पेढी पत्रक के अपीलार्थीगण का नाम अकित नही कर नामान्तरकरण में केवल खीमसिंह की पत्नी सायकुंवर तथा उनके पुत्र बलवन्तसिंह व नरपतसिंह के नाम दर्ज करते हुए अपीलार्थीगण के हितों पर कुठाराघात किया है। जबकि खीमसिंह जी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपीलार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रही है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही होने से अपीलार्थीगण के हक अधिकारों के प्रति शंका उत्पन्न हो रही है तथा अपीलार्थीगण का उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने से अपीलार्थीगण को बतौर खातेदार प्राप्त होने वाले अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। राजस्व अधिकारियों द्वारा विरासत के नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही किये जाने से अपीलार्थीगण को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त होने वाले हक अधिकार समाप्त नही होते है। नामान्तरकरण एक फिसकल एन्ट्री है तथा नामान्तरकरण दर्ज होने या नही होने से खातेदार को प्राप्त होने वाले खातेदारी के हक अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पढता है तथा उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही किये जाने से अपीलार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार समाप्त नही होते है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01—9—1998 को निरस्त किया जावे एवं स्वर्गीय खीमसिंह जी के हक हिस्से की कृषि भूमि में उनके सभी विधिक वारिसान के नाम से हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को आदेशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया किया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा खीमसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 एवं उनकी माता सायर कुंवर के हक में वैध रूप से नामान्तरकरण दायर किया गया है। अपीलार्थीगण, खीमसिंह जी की उत्तराधिकारी नही है एवं न ही उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में स्वर्गीय खीमसिंह जी का 2/6 खातेदारी हक हिस्सा रहा है। खीमसिंह जी व उनकी पत्नी सायरकुंवर की मृत्यु हो चुकी है। खीमसिंह जी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि पर खीमसिंह के दोनों पुत्रों पुत्र बलवन्तसिंह व नरपतसिंह मौके पर बतौर खातेदार कृषक काबिज काश्त है। खीमसिंह जी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में प्रत्यर्थी बलवन्तसिंह का आधा हक हिस्सा खातेदारी का है व शेष आधा हिस्सा प्रत्यर्थी

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नरपतसिंह का है एवं इसी हक हिस्से अनुसार प्रत्यर्थी बलवन्तसिंह व नरपतसिंह उक्त कृषि भूमि में खीमसिंह जी के 2/6 हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 व उसके वारिसान का उक्त कृषि भूमि पर खीमसिंहजी के जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् कभी भी कब्जा, काश्त या हक अधिकार नहीं रहा है। अपीलार्थीगण उनके ससुराल में निवास करती है। प्रश्नगत कृषि भूमि पर खीमसिंहजी के हिस्से पर खीमसिंहजी के जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 समान हक हिस्से से काबिज काश्त रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का खीमसिंहजी के खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त व हक अधिकार रहा है। खीमसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 4 या उसके वारिसान के प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हुए है। जिससे अपीलार्थीगण के हक में प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण दायर किया जाना किसी भी रूप से न्यायसंगत नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2, उक्त कृषि भूमि पर उसके स्वयं के खातेदारी हक अधिकार से काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 4 या उसके वारिसान के कभी भी खातेदारी हक अधिकार निहित नहीं हुए है। प्रश्नगत कृषि भूमि खीमसिंहजी की स्वअर्जित कृषि भूमि कभी नहीं रही है। मौके पर आज भी उक्त कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का वास्तविक कब्जा, काश्त व हक अधिकार है। खीमसिंह जी की मृत्यु हुये करीब 33 वर्ष हो चुके है एवं इन 33 वर्षो में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 4 या उसके वारिसान का उक्त कृषि भूमि में कब्जा काश्त या अधिकार नही रहा है। उक्त कृषि भूमि का अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण दायर हुये करीब 26 वर्ष से अधिक समय हो गया है। अपीलार्थीगण को हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार निहित नहीं होते है, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण, वर्ष 2005 से पूर्व दायर होकर स्वीकृत हुआ है, इसलिये खीमसिंह जी की उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 4 या उसके वारिसान के कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार खीमसिंह जी पुत्र जीवसिंह की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा विरासत का नामान्तरकरण उनके पुत्र बलवन्तसिंह व नरपतसिंह तथा उनकी पत्नी सायरकुंवर के नाम दायर किया गया, जो तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 135 से 141 व 162 कुल किता 8 रकबा 87 बीघा 4 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी राजपूत की मृत्यु के बाद उक्त मृतक खातेदार खीमसिंह पुत्र जीवसिंह जी राजपूत के उक्त कृषि भूमि में दर्ज हक हिस्से के संबंध में पटवारी हल्का, बडगांव द्वारा श्री बलवन्तसिह पुत्र खीमसिंह जी राजपूत, श्री नरपतसिंह पुत्र खीमसिंह जी राजपूत व श्रीमती शायर कुंवर पत्नि खीमसिंह जी राजपूत के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 162 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 01.9.1998 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम देवली, पटवार हल्का बडगांव के उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 01.9.1998 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रस्तुत किया गया। जो मियाद प्रार्थना पत्र संख्या 25/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25—3—2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किये जाने से इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त कृषि भूमि के मौके पर अपीलार्थीगण का उनके हक हिस्से अनुसार कब्जा—काश्त हो। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक खातेदार खीमसिंह जी पुत्र जीवसिंह जी की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से क़ी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 162 वर्ष 1998 में दायर होकर स्वीकृत हुआ है एवं इतने वर्षो की अवधि के बाद अपीलार्थीगण ने इस नामान्तरकरण अपील के माध्यम से उक्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा व मौके पर हक हिस्से अनुसार कब्जा—काश्त होना अंकित करते हुए उक्त कृषि भूमि में अपना हक जताया है, जबकि खातेदारी हक अधिकारों को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही तय करवाया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी एवं फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके द्वारा भूमि पर स्वत्व एवं खातेदारी हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *